राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2014/547-61 जयपुर,दिनांकः 16.1.15

जिला कलेक्टर,(सहायता)
जैसलमेर, अजमेर,
डूंगरपुर एवं उदयपुर (राज0)।

विषयः– अभाव संवत् 2071 में अभावगग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र कमांक 36 दिनांक 8.1.2015 (जैसलमेर) 116 दिनांक 8.1.2015(अजमेर), 15 दिनांक 7.1.15 (डूंगरपुर), 325 एवं दिनांक 8.1.2015 (जोधपुर),के कम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क. एफ1(1)(4) आ.प्र.सआ/ सामान्य/ 2014/10908–44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। भारत सरकार के पत्रांक 32–3/2013–छक्ड.प दिनांक 28.11. 2013 के द्वारा जारी संशोधित क्त्थ्छक्त्थ मानदण्डो के बिन्दु सं. 6(पप) के अनुसार अभाव संवत् 2071 में आपके जिले की पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान **जारी दिनांक से 30 दिवस तक** स्वीकृत करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम जिला	पंजीकृत गौशाला का संख्या	गौशालाओं में संधारित पशुओं की संख्या		
			बड़े पशु	छोटे पशु	योग
1	2				
1	जैसलमेर	1	135	23	158
2	अजमेर	2	269	66	335
3.	डूंगरपुर	2	20	2	22
4.	जोधपुर	6	1503	371	1874
	योग	11	1927	462	2389

इसी अनुकम में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावेंः–

1 <u>अनुदान दरः –</u>
गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं के बड़े पशु हेतु 50/– रूपये तथा छोटे पशु हेतु 25/– रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

2. <u>पशु आहार</u>–
(i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ कमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथ 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है।

5. **भुगतानः–**
गौशला द्वारा सरंक्षित किये जा हे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कियें जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

6. **पशु संख्याः–**
गौशालाओं के पशुओं की संख्या सक्षम अधिकारी, कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्वीकृति के आदेश समय पर ही जारी किये जा सके।

7. **पशु संख्या में बढोतरी** :–
विगत वर्षो में यह देखा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा सूचित संख्या के आधार पर गौशाला अनुदान की स्वीकृति जारी की गई । उक्त संख्या बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के आधार पर बताई गई। गौशालाओं के पशुओं में वृद्धि होने की दशा में कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही आगामी माह की 20 तारीख से पूर्व तक बढे हुए पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें,ताकि बढी हुई संख्या के आधार पर स्वीकृति आदेश समय पर जारी किये जा सके।

8. **किसी भी संचालक संस्था जिसके माध्यम से पशु शिविर, चारा डिपो या गौशाला संचालित की जा रही है, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं के प्रस्ताव अभाव अवधि में ही प्रेषित करें।**

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

15/1/15

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर अजमेर एवं जयपुर)
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

शासन संयुक्त सचिव